न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अपील संख्या – 15/20 GCMS NO 2020/00008

1. विश्राम पुत्र भोला
2. प्रकाशी पत्नि विश्राम जातियान मीना निवासीयान नांगल मांडल तहसील टोडाभीम जिला करौली

अपीलांट

बनाम

1. छोटया पुत्र भोला जाति मीना निवासी नांगड मांडल तहसील टोडाभीम जिला करौली (मृतक)
   1/1. सुखराम
   1/2. राजेन्द्र पुत्रान छोटया
   1/3. वीणा पुत्री छोटया
   1/4. मलूकी पुत्री छोटया
   1/5. केसन्ता पुत्री छोटया
   1/6. अनीता पुत्री छोटया
2. रामसिह पुत्र भोला
3. चेतराम पुत्र शिवलाल
4. कलूआ पुत्र रामरतन
5. जगमोहन पुत्र रामरतन
6. बाबूलाल पुत्र रामधन जातियान मीना निवासीयान नांगड मांडल तहसील टोडाभीम जिला करौली
7. धनबाई पत्नि गंगाधर जाति ... निवासी नांगल मांडल तहसील टोडाभीम जिला करौली (मृतक)
   7/1. राजन्ती पुत्री धनबाई पत्नि गंगाधर
   7/2. उगन्ती पुत्री धनबाई पत्नि गंगाधर
   7/3. गीता पुत्री धनबाई पत्नि गंगाधर
8. प्रकाश पुत्र गंगाधर
9. रामकिशन पुत्र गंगाधर
10. रामकेश पुत्र गंगाधर
11. प्रेम बेवा कमल
12. राजेश
13. विजय
14. महेश पिसरान कमल
15. भरती
16. देवीराम पिसरान धनपाल
17. मुनीम पुत्र हुल्लड
18. जमूरी पत्नि मूल्या
19. वीकेश पुत्र हरिप्रसाद
20. मंतो बेवा हरिप्रसाद
21. प्रहलाद पुत्र रामेश्वर
22. सुरेश पुत्र रामेश्वर जातियान मीना निवासीयान नांगल मांडल तहसील टोडाभीम जिला करौली

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

23. चम्पा पत्नि रामेश्वर जाति मीना निवासी नांगल मांडल तहसील टोडाभीम जिला करौली (मृतक)
23/1. मु0धर्मा पुत्री चम्पा पत्नि रामेश्वर
23/2. काडी पुत्री चम्पा पत्नि रामेश्वर
23/3. सुनीता पुत्री चम्पा पत्नि रामेश्वर जातियान मीना निवासीयान नांगल मांडल तहसील टोडाभीम जिला करौली
24. प्रेम देवी पत्नि डोडीराम जाति मीना निवासी साधन का वास महवा तहसील महवा जिला दौसा
25. बाबूलाल
26. केशवराम पिसरान उमराव
27. केवल
28. मुरारी
29. हरकेश
30. रामकिशोर
31. अमरसिह पिसरान लक्ष्मण
32. हरपति पत्नि धर्मसिह
33. अभिषेक
34. अंकेश पिसरान धर्मसिह जातियान मीना निवासीयान नांगड मांडल तहसील टोडाभीम जिला करौली
35. तहसीलदार टोडाभीम जिला करौली
36. सविता देवी पत्नि रामजीत जाति मीना निवासी नांगल मांडल तहसील टोडाभीम जिला करौली

रेस्पो0

(अपील विरूद्व मु0नं0 118/16 निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 17.12.19 न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम)

अभिभाषक अपीला0 श्री सुरेश चंद शर्मा
अभिभाषक रैस्पो0 श्री हंसराम गुर्जर

दिनांक 16.01.2026

निर्णय

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 223 विरुद्ध निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 17.12.19 न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम पेश की है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में वादीगण/अपीलांटगण द्वारा दावा बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया कि ग्राम नागल मांडल की जमाबंदी सम्वत 2069–71 मे खाता संख्या 77 मे आराजी कुल किता 4 कुल रकबा 0.34 है0 मे वादी न0 1 बहिस्सा 1/24 का खातेदार काश्तकार है। शेष हिस्से के अन्य सहखातेदार है एवं खाता संख्या 78 के खसरा न0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.53 है0 मे वादी न0 1 का बहिस्सा 1/4 का खातेदार काश्तकार है। शेष हिस्से के अन्य सहखातेदार है। खाता संख्या 79 के खसरा न0 कुल किता 8 कुल रकबा 1.14 है0 मे वादी न0 1 बहिस्सा 1/8 हिस्से का खातेदार काश्तकार

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

है। शेष हिस्से के अन्य सहखातेदार काश्तकार है। खाता संख्या 80 के खसरा न0 कुल किता 13 कुल रकबा 2.39 है0 मे वादी न0 1 बहिस्सा 1/27 का खातेदार काश्तकार है तथा खसरा न0 549,554,555,556,557 कुल किता 5 कुल रकबा 1.25 मे वादी न0 2 प्रकाशी बहिस्सा 1/9 की खातेदार काश्तकार है। शेष हिस्से के अन्य सहखातेदार काश्तकार है। खाता संख्या 81 के खसरा न0 कुल किता 3 कुल रकबा 1.49 है0 मे वादी न0 1 बहिस्सा 1/27 का खातेदार काश्तकार है शेष हिस्से के अन्य सहखातेदार काश्तकार है। खाता संख्या 139 के खसरा नम्बरान कुल किता 23 कुल रकबा 5.12 है0 मे वादी न0 1 बहिस्सा 1/8 का खातेदार काश्तकार है। शेष हिस्से के अन्य सहखातेदार काश्तकार है। खाता संख्या 140 के खसरा नम्बरान कुल किता 4 कुल रकबा 0.48 है0 मे वादी न0 1 बहिस्सा 1/8 खातेदार काश्तकार है। खाता संख्या 141 के खसरा नम्बरान कुल किता 2 कुल रकबा 0.38 है0 मे वादी न0 1 बहिस्सा 1/8 का खातेदार काश्तकार है। शेष हिस्से के अन्य सहखातेदार काश्तकार है। उपरोक्त वर्णित आराजीयात का बाहमी बंटवारा हो रहा है। कौन कौन किस किस नम्बर पर काबिज है पता नही है। आये दिन डोल मेड को लेकर विवाद बना रहता है । रिकार्डेड बंटवारा नही होने के कारण आपस मे तनाब बना रहता है। दिनांक 28.9.16 को वादी अपनी आराजी खसरा न0 1592 को अगली फसल के लिए जोत लगवा रहा था कि प्रतिवादीगण आये और कहने लगे कि तुमने हमसे ज्यादा भूमि काश्त कर रखी है । इसलिए अब की बार उक्त आराजी को हम काश्त करेगे। इस पर वादीगण द्वारा यह कहने पर कि अपने अपने हिस्से पर काबिज है तथा तुमको आपत्ति हो तो तहसील मे चलकर बंटवारा करा लेते है। तो प्रतिवादीगण ने साफ इंकार कर दिया। इसलिए दावा करना आवश्यक हुआ। अतः दावा वादी विरूद्व प्रतिवादीगण प्राथमिक डिक्री किया जावे कि ग्राम नागल मांडल की जमाबंदी सम्वत 2069–72 मे खाता संख्या 77 मे आराजी कुल किता 4 कुल रकबा 0.34 है0 मे वादी न0 1 बहिस्सा 1/24 का खातेदार काश्तकार है। शेष हिस्से के अन्य सहखातेदार है एवं खाता संख्या 78 के खसरा न0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.53 है0 मे वादी न0 1 का बहिस्सा 1/4 का खातेदार काश्तकार है। शेष हिस्से के अन्य सहखातेदार है। खाता संख्या 79 के खसरा न0 कुल किता 8 कुल रकबा 1.14 है0 मे वादी न0 1 बहिस्सा 1/8 हिस्से का खातेदार काश्तकार है। शेष हिस्से के अन्य सहखातेदार काश्तकार है। खाता संख्या 80 के खसरा न0 कुल किता 13 कुल रकबा 2.39 है0 मे वादी न0 1 बहिस्सा 1/27 का खातेदार काश्तकार है तथा खसरा न0 549,554,555,556,557 कुल किता 5 कुल रकबा 1.25 मे वादी न0 2 प्रकाशी बहिस्सा 1/9 की खातेदार काश्तकार है। शेष हिस्से के अन्य सहखातेदार काश्तकार है। खाता संख्या 81 के खसरा न0 कुल किता 3 कुल रकबा 1.49 है0 मे वादी न0 1 बहिस्सा 1/27 का खातेदार काश्तकार है शेष हिस्से के अन्य सहखातेदार काश्तकार है। खाता संख्या 139 के खसरा नम्बरान कुल किता 23 कुल रकबा 5.12 है0 मे वादी न0 1 बहिस्सा 1/8 का खातेदार काश्तकार है। शेष हिस्से के अन्य सहखातेदार काश्तकार है। खाता संख्या 140 के खसरा नम्बरान कुल किता 4 कुल रकबा 0.48 है0 मे वादी न0 1 बहिस्सा 1/8 खातेदार काश्तकार है। खाता संख्या 141 के खसरा नम्बरान कुल किता 2 कुल रकबा 0.38 है0 मे वादी न0 1 बहिस्सा 1/8 का अलग अलग खाता कायम किया जावे एवं प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वादी की कब्जे काश्त की आराजी मे मजाहमत मदालखत नही करे एवं वादी को बेदखल नही करे। इस प्रकार की

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से वादी/अपीलांटगण द्वारा चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा मुताबिक जमाबंदी वादीगण एवं प्रतिवादी न0 1,2,3,6,36 का अलग अलग खाता कायम करते हुए बंटवारा स्कीम नय नक्शा ट्रेस पेश करने हेतु तहसीलदार टोडाभीम को 5000/–रूपये की कोस्ट पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलांटगण/वादीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। बहस उभयपक्ष अभिभाषको की अपील पर सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि तहसीलदार द्वारा बंटवारा स्कीम तयार करने से पूर्व अपीलांटगण को कोई सूचना नही दी गई ना ही बंटवारा स्कीम तैयार करने बाबत कोई नोटिस दिया गया। इस आधार पर अपील मंजूर किये जाने योग्य है। मौका कमिश्नर द्वारा मौका रिपोर्ट मीटस एण्ड बाउन्डस के आधार पर तैयार नही की गई है तथा प्रतिवादीगण से साजकर उनके फायदे व हिस्से अनुसार बंटवारा स्कीम न्यायालय मे प्रस्तुत कर दी। बंटवारा स्कीम माननीय राजस्व मंडल के बंटवारा नियम 18 से 21 की पालना नही कर बंटवारा स्कीम अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश की गई है। जो मूलभूत सिद्वान्तो के विपरीत है। इसलिए अपील मंजूर किया जाना न्याय संगत है। अपीलांटगण द्वारा विवाद को समाप्त करने के लिए दावा अधिनस्थ न्यायालय मे पेश किया गया था उक्त बंटवारा स्कीम विवाद को और बढाने के लिए प्रस्तुत कर दी। अपीलांटान खसरा न0 1592 पर काबिज है उसे प्रतिवादी न0 1 के नाम बंटवारा स्कीम मे दिया गया है तथा खसरा न0 557 जिस पर प्रतिवादी न0 4 व 5 काबिज है तथा खसरा न0 1443/3, 1371/3, 1164 पर अन्य प्रतिवादीगण काबिज है उन्हे बंटवारा स्कीम मे अपीलांट को देकर विवाद को बढावा दिया जा रहा है जो न्याय के सिद्वान्तो के विपरीत है। उक्त गलत बंटवारा स्कीम के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अंतिम डिक्री पारित की जा रही है जो न्याय के मूल भूत सिद्वान्त के विपरीत है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय का जैर निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 17.12.19 मंसूख फरमाया जाकर अपीलांट के हिस्से व कब्जे अनुसार बंटवारा स्कीम तलब कर निर्णय पारित किये जाने के आदेश प्रदान किये जावे।

रेस्पो0 के अधिवक्ताओ ने बहस मे बताया कि अपीलांट अधिवक्ता का यह कथन मिथ्या है कि आराजी खसरा न0 1592 पर कब्जा अपीलांट का हो जबकि सत्यता यह है कि उक्त आराजी बहामी बंटवारे मे प्रतिवादी 1 ता 3 के हिस्से मे आई है तभी से काबिज काश्त है। पूर्व मे यह आराजी उबड खाबड व नाकाबिल काश्त थी। जिसे काफी धन लगाकर काश्त काबिल बनाया गया है। उक्त आराजी सडके के किनारे होने से अपीलांट के मन मे बदनियती आ गई जिससे वह उक्त आराजी को अपने बंटवारे मे लेना चाहता है। इसी प्रकार अपीलांट अधिवक्ता का यह कथन भी मिथ्या है कि बंटवारा कमिश्नर द्वारा बंटवारा स्कीम पक्षकारो की मौजूदगी मे नही बनाई है जबकि बंटवारा स्कीम उभयपक्षकारान की मौजूदगी मे तैयार की गई है जिस पर पक्षकारो द्वारा हस्ताक्षर किये गये है। बंटवारा स्कीम मीटस एण्ड बाउन्डस के आधार पर तैयार की गई है। यदि अपीलांटगण को बंटवारा स्कीम पर किसी प्रकार की कोई आपत्ति थी तो उनको अधिनस्थ

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

न्यायालय के समक्ष चाराजोही करनी चाहिए थी। अपीलांटगण द्वारा विधि विरूद्व तरीके से प्राथमिक डिक्री की अपील प्रस्तुत की है जो काबिले खारिज है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत रूप से सम्पूर्ण राजस्व रिकार्ड का अवलोकन करने के उपरान्त ही प्राथमिक डिक्री पारित की गई है। जिसमे किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नही है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा अपीलाधीन निर्णय एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन किया गया। जिससे यह तथ्य सामने आये कि वादग्रस्त आराजीयात संयुक्त खातेदारी की आराजीयात रही है। जिसका विधिवत बंटवारा नही होने के कारण वादीगण/अपीलांटगण द्वारा बंटवारे का वाद अधिनस्थ न्यायालय मे पेश किया गया था। अपीलांट अधिवक्ता का कथन रहा कि बंटवारा स्कीम मे कब्जा अनुसार हिस्सा प्रदान नही किया है क्योकि आराजी खसरा न0 1592 पर अपीलांट का कब्जा है उसे प्रतिवादी न0 1 के नाम बंटवारा स्कीम मे दिया गया है तथा खसरा न0 557 जिस पर प्रतिवादी न0 4 व 5 काबिज है तथा खसरा न0 1443/3, 1371/3, 1164 पर अन्य प्रतिवादीगण काबिज है उन्हे बंटवारा स्कीम मे अपीलांट को देकर विवाद को बढावा दिया जा रहा है। जबकि बंटवारे के बाद मे मुख्य रूप से कब्जे को देखा जाना होता है। यदि किसी काश्तकार कब्जे के अलावा अन्य खसरा नम्बर बंटवारे मे दिये जाते है तो आवश्यक रूप से वाद वाहुलता को बढावा मिलता है। बंटवारा कमिश्नर द्वारा बंटवारा स्कीम मे कब्जे को अनदेखा कर कब्जे के विपरीत खसरा नम्बरान बंटवारे मे दिया गया है। इस प्रकार बंटवारा स्कीम त्रुटिपूर्ण है। जिसे निरस्त किया जाकर उभयपक्ष की मौजूदगी मे कब्जे अनुसार बंटवारा स्कीम तैयार कराई जाकर बंटवारा स्कीम पर उभयपक्ष को सुना जाकर पुनः निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जाना न्यायोचित है।

अतःअपील अपीलांट रिमाण्ड योग्य होने से रिमाण्ड की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम के मु0नं0 118/16 मे पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 17.12.19 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण मे वादग्रस्त आराजीयात की बंटवारा स्कीम उभयपक्ष की मौजूदगी मे मौके एवं कब्जे अनुसार प्राप्त की जाकर मुताबिक बंटवारा स्कीम पुनःनिर्णय पारित करे। उभयपक्ष को पाबंद किया जाता है कि वे अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम के यहाँ दिनांक 27.02.2026 को उपस्थित होना सुनिश्चित करे।

निर्णय आज दिनांक 16.01.2026 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(लक्ष्मी कांत बालोत)
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर